न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर

बईजलास : सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 02 / 2020

जीसीएमएस : 2020 / 00017

1.लवकुश बिश्नोई पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0। नाबालिग जरिये कुदरती बली माता नीलम पत्नि मनीराम जाति धानक निवासी 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज0।

—:प्रार्थी

बनाम

1.खेमा राम पुत्र श्री जसूराम जाति बिश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

2.रामचन्द्र पुत्र श्री खेमा राम जाति बिश्नोई निवासी 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)रायसिंहनगर ।

—:अप्रार्थीगण

212 राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थिति:—
श्री ओमप्रकाश सुथार अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अनिल कुमार बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थीगण

—:निर्णय :—

दिनांक:—29 .04.2024

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी लवकुश बिश्नोई पुत्र श्री मनीराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता नीलम पत्नि मनीराम जाति धानक निवासी 33 एन पी ने वाद—पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा के नाम से चक 33 एन पी के मु.न. 42 के प. न. 190 / 332 में 1.607 है0 व मु0न0 41 प.न. 191 / 332 में 1.976 है0 कुल 3.671है0 नहरी भूमि मय खाला खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता मनीराम का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी नाबालिग है। परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी क हिस्स हड़प करना चाहते है तथा भूमि को खुर्द—बुर्द करना चाहते है, इसलिए प्रार्थी नाबालिग जरिये माता नीलम , अपने हितों की रक्षा के लिये प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी के पिता की शादी प्रार्थी की माता नीलम से हुई थी। प्रार्थी की माता नीलम की जाति धानक है जिस कारण से अप्रार्थीगण के माता पिता के साथ छूआछूत करते थे तथा उनको परेशान करते थे जिसके चलते प्रार्थी के पिता ने आत्महत्या कर ली तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के उसकी माता सहित घर से निकाल दिया। उक्त विवादित भूमि कुल 3.671है0 नहरी भूमि कृषि प्रार्थी के दादा के नाम से है जो उक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की अभिवाजित संपत्ति यानि प्रार्थी की पैतृक संपत्ति है जिसमें प्रार्थी का हित निहित है। इस भूमि में प्रार्थी अपना हिस्सा लेने के लिये अप्रार्थी सं. 1 से अनुरोध किया तो उसने टाल—मटौल कर दिया इस भूमि में मेरा 1/2 हिस्सा विधिक [illegible] विधिक अड़चन नहीं है। मुझे अप्रार्थीगण जान—बुझकर अपना हिस्सा नही [illegible] ओर शीघ्र ही इस भूमि को रहन बैय करना चाहते है। यदि [illegible] क्षति होगी मेरा उक्त भूमि में पैतृक हिस्सा है इसलिये [illegible] संतुलन [illegible] दृष्टया मामला मेरे पक्ष में है।मैंने दिनांक 4.02.2020 को [illegible] की मांग [illegible] उन्होंने मेरा हिस्स देने से स्पष्ट [illegible] तारीख बिनाय मुखासमत दावा प्रार्थी को उसके पिता की मृत्यु के रोज से प्रा[illegible] है। अप्रार्थी सं. 3 जो राजस्थान सरकार भूमि के मालिक है इसलिये औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे वादग्रस्त संपत्ति चक 33 एन पी तहसील रायसिंहनगर के मु.न. 42 के प. न. 190/332 में 1.607 है0 व मु0न0 41 प.न.191/332 में 1.976 है0 इस प्रकार दोनों चकों की कुल 3.671 है0 नहरी भूमि को किसी प्रकार से आगे रहन, बैय, दान, आदि से हस्तांरित ना करे व ऐसा कोई कृत्य ना करे कि जिससे वादी अपने अधिकारों से वंचित होता हे वादगस्त संपत्ति पर मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबाना तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री अनिलकुमार अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना –पत्र में विरोध प्रकट करते हुये अतिरिक्त आपत्तिया में अंकित किया कि विवादित रकबा मिन अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रतिफल अदा कर जरिये पंजीकृत दस्तावेज बैयनामां खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है जिसक इन्तकाल सं. 29 दिनांक 01.01.1972 को अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में दर्ज होकर स्वीकृत शुदा है । स्वअर्जित सम्पति होने से विवादित रकबा को हर प्रकार से उपयोग– उपभोग करने के एकल रूप से समस्त हित व अधिकार अप्रार्थी सं. 1 को हासिल होने से मिन अप्रार्थी के अलावा किसी अन्य को कोई हक व अधिकार विवादित रकबा में प्राप्त नहीं होते है। ऐसी दशा में प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। विवादित भूमि मिन अप्रार्थी सं. 1 की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है जिसे उसने मिन अप्राथी सं. 2 के पक्ष में जरिये पंजीकृत दस्तावेजात दान–पत्रों 19.11.2019 व 04.12.2019 समस्त हित व अधिकारों सहित अंतरिक कर कब्जा मय पानी सुपुर्द कर दिये जाने से विवादित रकबा पर बतौर एकल खातेदार समस्त हित व अधिकार मिन अप्रार्थी सं. 2 को हासिल है। पंजीकृत दस्तावेजात दान–पत्रों को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिये कानूनन माननीय न्यायालय में वाद विधि बाधित होने से काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। विवादित भूमि का अप्रार्थी सं. 1–2 के पक्ष में नामान्तरण भी दिनांक 01.01.1972 व 03.02.2020 को ही स्वीकृत होकर अंतिम हो चुके है। इसलिये भी वाद प्रार्थी चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक पुत्र की कानूनन वारिस माता होती है मगर माता को पक्षकार नहीं बनाया गया व मिन अप्रार्थी सं. 1 के कोई हित व अधिकार विवादित रकबा में नहीं होने से उसे अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में पक्षकार के कुसंयोजन व असंयोजन का दोष होने के कारण भी वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। विवादित रकबा पर बतौर एकल खातेदार मिन अप्रार्थी सं. 2 के हरप्रकार के हक–हकूक व उपयोग–उपभोग के अधिकार हासिल है ओर कब्जा काश्त है। इसलिए प्रथम दृष्टय मामला , सुविधा क सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में होने से भी प्रकरण काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी सद्‌भावी नहीं है न ही क्लीनहेण्ड से न्यायालय में आया है, इसलिये वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के है ओर न मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी से विशेष हर्जाना कम से कम 10 हजार रूपये पाने के विधिक अधिकारी है। अतः जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही व विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थीगण को दिलाया जावे।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner